

कार्यालय, नियंत्रक नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान) मध्यप्रदेश, भोपाल

Tel. 0755-2551017, 2551021 Email-cwmbho@mp.nic.in

क्रमांक 2921 /नातौ/अ-1(1)/2019
प्रति,

भोपाल, दिनांक: 08/08/2019

विषय :- समस्त उप / सहायक नियंत्रक / निरीक्षक,
नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान), मध्यप्रदेश
ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा विधिक मापविज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के अनुसार घोषणाएं करना।

----- 00 -----

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि वर्तमान में ऑनलाईन खरीददारी का चलन समय दर समय बढ़ रहा है। ई-कॉमर्स संस्थाओं द्वारा अपनी डिजीटल एवं इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर विक्रय की जाने वाली सामग्री का विवरण भी प्रदर्शित करते हैं। विधिक मापविज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के नियम 6 के उप नियम (10) में ई-कॉमर्स संस्थाओं के द्वारा ऑनलाईन विक्रय की जाने वाली सामग्री के संबंध में डिजीटल एवं इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर भी विधिक मापविज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के नियम 6(1) के अनुसार वस्तु के विनिर्माण अथवा पैकिंग के माह व वर्ष को छोड़ घोषणाएं प्रदर्शित किया जाना आवश्यक किया गया है।

अतः उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत ई-कॉमर्स संस्थाओं द्वारा अपने डिजीटल एवं इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर विधिक मापविज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के नियम 6(1) के अनुसार निम्नलिखित घोषणाओं का विवरण भी प्रदर्शित किया जाएगा, जो निम्नानुसार हैं :-

- (अ) निर्माता / पैककर्ता / आयातकर्ता का नाम तथा पता (आयातित पैकेजों की दशा में उदगम या निर्माता या असेंबलर देश का नाम सहित)।
- (ब) पैक की गई वस्तु का सामान्य या प्रजातिगत नाम और एक से अधिक उत्पाद वाले पैकेजों के मामले में, प्रत्येक उत्पाद का नाम और संख्या अथवा मात्रा ;
- (स) मानक इकाई में वस्तुओं की विशुद्ध मात्रा / संख्या (यदि वस्तु संख्या में विक्रय / पैक की जाती है)।
- (द) पैकेजों में रखी ऐसी वस्तु जो एक समयावधि पश्चात् मानव उपयोग के अयोग्य हो जायेगी तो लेवल पर 'से पूर्व अथवा तारीख, माह, वर्ष तक उपयोग करें' संबंधी विवरण।
- (इ) अधिकतम फुटकर मूल्य रूपये सभी करें सहित।
- (फ) अतिरिक्त संबंधित सूचना।

यहोँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ई-कॉमर्स संस्थाओं द्वारा उपभोक्ताओं को प्रदाय की गई वस्तुओं के संबंध में विधिक मापविज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन से छूट नहीं दी गई है, अर्थात् पैकेज हर हाल में नियमों के अनुरूप हो।

(एस.के. जैन)

नियंत्रक

नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान), म.प्र. भोपाल